नगर
नि
देहरादून

कार्यालय नगर निगम, देहरादून।

(का0– 0135–2714074:फैक्स–0135–2651060: ई–मेल–nagarnigam.ddn@gmail.com)

व्यापार/ट्रेड लाईसेन्स सम्बन्धी अनन्तिम उपविधि

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 (यथा प्रवृत्त उत्तराखण्ड) की धारा 541 के अन्तर्गत नगर निगम सीमान्तर्गत विभिन्न प्रकार के व्यवसायिक लाईसेन्स/पंजीकरण को नगर निगम देहरादून की स्वीकृति के अनुसार विभिन्न प्रकार के व्यवसायों पर लाईसेन्स/पंजीकरण शुल्क लगाये जाने का निर्णय लिया गया है। जिसके लिये निम्नानुसार नीति बनाया जाना प्राविधानित है। लाईसेन्स हेतु उक्त प्रस्तावित उपविधि के लागू होने की तिथि के उपरान्त पूर्व में प्राविधानिक लाईसेन्सों/पंजीकरण शुल्क उपनियम स्वतः समाप्त हो जायेंगे।

अतः इस विज्ञप्ति के प्रकाशन के 15 दिन के अन्दर आपत्ति नगर आयुक्त, नगर निगम देहरादून को सम्बोधित करते हुए कार्यालय नगर निगम देहरादून में प्रस्तुत की जा सकती है। नियत अवधि के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

परिभाषा :–

1. यह नीति नगर निगम देहरादून की सम्पूर्ण सीमा के अन्तर्गत विभिन्न व्यवसायों को नियन्त्रण करने हेतु लाईसेन्स/पंजीकरण शुल्क एवं अन्य शुल्क उपविधि वर्ष 2025 कहलायेगी जो यह गजट प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

   (क) अधिनियिम–अधिनियम का तात्पर्य उत्तर प्रदेश अधिनियम 1959 यथा प्रभावी उत्तराखण्ड से है।

   (ख) नगर निगम सीमा से तात्पर्य–नगर निगम देहरादून जो शासन द्वारा निर्धारित क्षेत्र से है।

   (ग) नगर आयुक्त–नगर आयुक्त का तात्पर्य नगर निगम देहरादून के नगर आयुक्त से है।

   (घ) मेयर–मेयर का तात्पर्य नगर निगम देहरादून के निर्वाचित मेयर(महापौर) से है।

   (ड़) बोर्ड–बोर्ड का तात्पर्य नगर निगम देहरादून के बोर्ड से है।

   (च) लाईसेन्सिंग/पंजीकरण अधिकारी–लाईसेन्सिंग/पंजीकरण अधिकारी का तात्पर्य नगर निगम देहरादून के नगर आयुक्त एवं जिसे दायित्व सौंपा जाय से है।

2. निगर निगम देहरादून की सीमा के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति तभी व्यवसाय करने का पात्र होगा जब यह इस हेतु नगर निगम, देहरादून कार्यालय में निर्धारित शुल्क का भुगतान कर लाईसेंस प्राप्त कर लिया हो।
3. होटल लॉजिंग/गैस्ट हाऊस/तीन सितारा होटल/चार सितारा होटल/पांच सितारा होटल/सात सितारा होटल/बारात घर/हॉस्पिटल/नर्सिंग होम/प्रसूति गृह/प्रा0 क्लीनिक/डेन्टल क्लीनिक/आई0 क्लीनिक/यूनानी/आर्युवेदिक/होम्योपैथिक क्लीनिक/डाईग्नोस्टिक सेन्टर/ पैथोलॉजी लैब/एक्सरे–क्लीनिक/सी0टी0स्कैन/एम0 आर0आई0/अल्ट्रासउन्ड/मेडिकल शॉप आदि से सम्बन्धित व्यवसायियों को मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी स्तर से अनापत्ति प्राप्त करनी अनिवार्य होगी।
4. प्रा0 पशु क्लीनिक/प्रा0 पशु अस्पताल से सम्बन्धित व्यवसायियों को वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी स्तर से अनापत्ति प्राप्त करनी अनिवार्य होगी।
5. आबकारी से सम्बन्धित व्यवसायियों को आबकारी विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर संलग्न करना अनिवार्य होगा।
6. इस उपविधि के अधीन आबकारी व्यवसायी नगर निगम, क्षेत्र में किसी भी प्रकार की शराब/बियर आदि को एम0आर0पी0 दर से अधिक पर विक्रय नहीं करेगा। ऐसा पाये जाने पर निगम द्वारा प्रदत्त व्यापार लाईसेन्स निरस्त कर आबकारी विभाग को आबकारी लाईसेन्स निरस्त करने हेतु संस्तुति की जायेगी।

7. इस नियम/उपनियम के अन्तर्गत लाईसेन्स की अवधि प्रतिवर्ष 01 अप्रैल से 31 मार्च वित्तीय वर्ष के लिए वैध होगी।

8. लाईसेन्स जारी करने हेतु लाईसेन्सिंग अधिकारी नगर आयुक्त होंगे या उनके द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी (यथा उप नगर आयुक्त/सहायक नगर आयुक्त/नगर स्वास्थ्य अधिकारी/कर अधीक्षक आदि) होंगे।

9. प्रत्येक व्यवसायी अथवा उद्यमी इन उपविधियों के अधीन नगर निगम देहरादून के कार्यालय में निर्धारित शुल्क जमा कराने पर प्रतिवर्ष फरवरी माह के प्रथम सप्ताह से 31 मार्च तक लाईसेन्स प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

10. लाईसेन्स अधिकारी को लाईसेन्स निर्गत करने से पूर्व उसके विवेकानुसार व्यवसायी की होटल लॉजिंग/गैस्ट हाऊस/होम स्टे/तीन सितारा होटल/चार सितारा होटल/पांच सितारा होटल/सात सितारा होटल/बारात घर/हॉस्पिटल/नर्सिंग होम/प्रसूति गृह/प्रा0 क्लीनिक/डेन्टल क्लीनिक/आई0 क्लीनिक/यूनानी/आर्युवेदिक/होम्योपैथिक क्लीनिक/डाईग्नोस्टिक सेन्टर/पैथोलॉजी लैब/एक्सरे-क्लीनिक/सी0टी0स्कैन/एम0आर0आई0/अल्ट्रासउन्ड/मेडिकल शॉप आदि का निरीक्षण करने को अधिकार होगा अथवा लाईसेन्स अधिकारी द्वारा नियुक्त कर्मचारी जो कि निरीक्षक पद की श्रेणी से कम न हो जांच करने पर ही लाईसेन्स निर्गत करेगा।

11. कोई भी ऐसा व्यक्ति जो छूत की बीमारी से पीड़ित हो तो स्वयं ऐसा व्यवसाय नही करेगा और न ही ऐसे व्यवसाय में किसी भी ऐसे व्यक्ति को सेवायोजित करेगा।

12. लाईसेन्स अधिकारी को इन उपविधियों के अधीन खान-पान से सम्बन्धित व्यवसाय होटल, बारात घर/वैडिंग प्वांईट/मल्टी सुरपर स्पेशिलिटी अस्पताओं में सड़ी गली फल सब्जी को रखने एवं उनके प्रयोग करने के विरूद्व कार्यवाही करने अथवा मानव अनुपयोगी पदार्थ को नष्ट करने का अधिकार होगा।

13. प्रत्येक व्यवसाय स्वामी को चाहिये कि वह नगर निगम देहरादून कार्यालय से लाईसेन्स प्राप्त करने हेतु प्रत्येक वर्ष फरवरी माह के प्रथम सप्ताह से 31 मार्च तक ऑन लाईन पोर्टल पर आवेदन करेगा और व्यवसाय हेतु निर्धारित शुल्क जमा कर लाईसेन्स प्राप्त कर सकेगा।

14. इस उपविधि के अधीन बारात घर/वैडिंग प्वांईट में खान-पान/हॉस्पिटल/नर्सिंग होम में बॉयोमेडिकल वेस्ट से सम्बन्धित व्यवसायियों, को कूड़ा व अन्य अनुपयुक्त गन्दी वस्तुओं को ढ़क कर रखना व प्रतिदिन उसको डिस्पोज करना अनिवार्य होगा। जिससे किसी भी प्रकार का कूड़ा एवं बायोमेडिकल वेस्ट किसी भी आमजन एवं जन स्वास्थ्य के दृष्टिगत् हॉनिकारक/जनस्वास्थ्य के विपरीत न हो।

15. लाईसेन्स धारक अपने लाईसेन्स/पंजीकरण का नवीनीकरण प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह तक नही कराता है तो उसे अप्रैल माह के पश्चात् लाईसेन्स शुल्क पर रू0-100 प्रतिदिन की दर से विलम्ब शुल्क आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि तक देय होगा।

16. कोई भी व्यक्ति लाईसेन्स धारक अपना व्यवसाय बन्द अथवा समाप्त करेगा तो अपना लाईसेन्स निरस्त करने हेतु रू0-10 के स्टॉम्प पेपर पर प्रार्थना पत्र फरवरी माह के अन्तिम सप्ताह के पूर्व प्रस्तुत करेगा जिसमें लाईसेन्स अधिकारी प्रतिष्ठान का निरीक्षण कराकर लाईसेन्स निरस्त करेगा।

17. इस उपविधि के किसी प्राविधान के बारे में राज्य सरकार यदि सन्तुष्ट है, कि उपविधि के किसी प्राविधान का दुरूप्रयोग है, अथवा कोई प्राविधान जनहित में नही है तो उक्त प्राविधान को परिष्कृत करने छूट देने का अधिकार राज्य सरकार को होगा।

18. इन उपविधियों के प्रभावी होने की तिथि से स्वीकृत नियमावली में लिखित व्यवसायों/उद्यमों से सम्बन्धित पूर्व प्रभावी समस्त लाईसेन्स दर/उपनियम स्वतः समाप्त हो जायेंगे तथा नये नियम इस उपविधि के अधीन होंगे।

19. केन्द्र या राज्य सरकार या अन्य विधिनिहित संस्था के द्वारा निगम में उल्लेखित व्यवसायों के नियन्त्रण हेतु लाईसेन्स इन उपविधियों से भिन्न होगें।

20. नगर निगम देहरादून द्वारा अपनी सीमा के अन्तर्गत उल्लिखित व्यवसाय करने वाले व्यवसाय स्वामियों का एक रजिसटर बनाया जायेगा। उसी के आधार पर वार्षिक लाईसेन्स प्रपत्र पर जारी जारी किया जायेगा। कोई व्यवसायी निर्धारित अवधि में लाईसेन्स नहीं बनाता है तो उससे लाईसेन्स धनराशि वसूली हेतु नगर निगम अधिनियम 1959 के अन्तर्गत प्रदत्त प्राविधानों में भू–राजस्व की भांति वसूली करने का अधिकार नगर निगम देहरादून के पास सुरक्षित होगा।

21. नर्सिंग होम/हॉस्पिटल आदि को बायोमेडिकल वेस्ट नियम का पालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करना होगा।

(क) शैययाओं/बैडों हेतु कक्षों (कमरों) की उचित व्यवस्था होनी चाहिए।

(ख) पर्यावरण और शुद्ध वायु की संतोषजनक व्यवस्था हो।

(ग) पानी/स्नानागार एवं शौचालय की समुचित व्यवस्था हो।

(घ) वाहन पार्किंग की समुचित व्यवथा हो। जिस हेतु नगर स्वास्थ्य अधिकारी समय–समय पर निरीक्षण करेंगे।

22. वैंकट हॉल/होटल को नगर निगम के द्वारा स्वच्छता के सम्बन्ध में समय–समय पर बनाये गये नियम व एस0डबलू0एम0 नियम 2016 का पालन प्रत्येक दशा में करना होगा। वाहनों हेतु पार्किंग होनी चाहिये, एवं वाहन फुटपाथ पर खड़े नहीं किये जायेंगे।

23. नगर निगम के नगर आयुक्त या उनके द्वारा अधिकृत कर्मचारी को किसी भी समय किसी भी व्यवसाय/प्रतिष्ठान आदि के लाईसेन्स का परीक्षण करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

24. नगर निगम द्वारा जारी किये जाने वाले कुछ लाईसेन्सों में यदि भारत सरकार/राज्य सरकार/अन्य द्वारा लाईसेन्स/रजिस्ट्रेशन होता हो तो उसके प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त ही नगर निगम के लाईसेन्स/रजिस्ट्रेशन जारी किये जायेंगे।

25. यदि किसी व्यवसाय के लाईसेन्स/पंजीकरण जारी होने से विवाद उत्पन्न होता है तो 15 दिन नगर आयुक्त के समक्ष उसकी अपील होगी तथा नगर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध आदेश की तिथि के 15 दिन के अन्दर द्वितीय अपील मा0 नगर प्रमुख के समक्ष की जायेगी। नगर प्रमुख/प्रशासक को 15 दिन के अन्दर अपील का निस्तारण करने का निर्णय देना होगा।

26. कोई भी व्यवसायी सड़क/फुटपाथ बाधित नहीं करेगा।

27. इस उपविधि में उल्लिखित कोई भी व्यवसायी/व्यक्ति सरकारी भूमि पर जनरेटर नही लगायेगा। व्यवसायियों द्वारा जनरेटर अपने प्रतिष्ठान के अन्दर स्थापित करना होगा तथा जनरेटर इस तरह से लगाया जाय कि वो साउण्ड प्रूफ एवं पॉल्यूशन मुक्त हो।

अर्थ दण्ड/शास्ति

नगर निगम सीमान्तर्गत तैयार की गयी उपरोक्त उपविधि के किसी भाग/अंश का प्रथम बार उल्लंघन होने की दशा में व्यवसायी को 15 दिवस का नोटिस जारी किया जायेगा, नोटिस अवधि पूर्ण होने के पश्चात निर्धारित पंजीकरण/नवनीकरण शुल्क का दोगुना शुल्क आरोपित किया जायेगा। द्वितीय बार उल्लंघन होने पर व्यवसायी को पुनः 7 दिवस का नोटिस प्रेषित किया जायेगा, 7 दिवस के नोटिस अवधि पूर्ण होने के पश्चात उल्लिखि व्यवसाय से सम्बन्धित निर्धारित पंजीकरण/नवीनीकरण शुल्क का चार गुना शुल्क आरोपित किया जायेगा। तत्पश्चात फिर भी यदि व्यवसायी द्वारा पंजीकरण/नवीनीकरण नही किया जाता है तो नगर निगम अधिनियम 1959 के अन्तर्गत प्रदत्त प्राविधानों में भू–राजस्व की भांति (आर0सी0) काटते हुए शुल्क जमा कराया जायेगा। आर0सी0 कटने के उपरान्त लाईसेन्स शुल्क जमा न करने की स्थिति में आर0सी0 कटने की तिथि से प्रतिदिन रू0–500/– की दर से अर्थ–दण्ड आरोपित किया जायेगा।

लाईसेन्सिंग हेतु मदवार दरें निम्नवत हैः–

क्रम सं0	ट्रेड / व्यापार का नाम	प्रथम बार पंजीकरण हेतु निर्धारित शुल्क की दर रू0	प्रतिवर्ष लाईसेन्स नवीनकीरण हेतु निर्धारित शुल्क की दर रू0
	वैडिंग प्वाइंट / बैंकेट हॉल / होटल लॉजिंग		
1	बैंकेट हॉल / वैडिंग प्वाइंट (250 गैस्ट गैदरिंग)	25000	10000
2	बैंकेट हॉल / वैडिंग प्वाइंट (250 गैस्ट से 500 गैस्ट तक की गैदरिंग)	50000	20000
3	बैंकेट हॉल / वैडिंग प्वाइंट (500 गैस्ट से अधिक की गैदरिंग)	75000	30000
4	होटल लॉजिंग / गैस्ट हॉउस बिना स्टॉर 1 से 20 बैड तक	20000	10000
5	होटल लॉजिंग / गैस्ट हॉउस बिना स्टॉर 21 से 50 बैड तक	25000	15000
6	होटल लॉजिंग / गैस्ट हॉउस बिना स्टॉर बिना स्टॉर 51 से 100 बैड तक	50000	20000
7	तीन सितारा होटल	100000	25000
8	पांच सितारा होटल	150000	35000
9	सात सितारा होटल	200000	50000
	हॉस्पिटल / नर्सिंग सम्बन्धी ट्रेड		
10	हॉस्पिटल / नर्सिंग 1 से 20 बैड तक मल्टी सुपर स्पैशलिटी	25000	10000
11	हॉस्पिटल / नर्सिंग 21 से 50 बैड तक मल्टी सुपर स्पैशलिटी	30000	15000
12	हॉस्पिटल / नर्सिंग 51 से 100 बैड तक मल्टी सुपर स्पैशलिटी	50000	30000
13	हॉस्पिटल / नर्सिंग 100 बैड से ऊपर मल्टी सुपर स्पैशलिटी हॉस्पिटल	100000	50000
	प्राईवेट क्लीनिक / मेडिकल शॉप सम्बन्धी ट्रेड		
14	सैम्पल कलैक्शन सेन्टर	15000	8000
15	डाईग्नोस्टिक सैन्टर / पैथोलॉजी लैब / अल्ट्रासाउन्ड / सी0टी0 स्कैन / एक्स–रे	25000	10000
16	प्राईवेट क्लीनिक / डेन्टल क्लीनिक / नेत्र क्लीनिक / नाक कान गला रोग क्लीनिक	30000	15000
17	यूनानी / आर्युवेदिक / होम्योपैथी क्लीनिक	30000	15000
18	एलोपेथिक मेडिकल शॉप /	50000	30000
19	आर्युवेदिक मेडिकल शॉप	30000	15000
20	होम्योपैथिक मेडिकल शॉप	30000	15000
21	यूनानी मेडिकल शॉप	20000	10000
	पशु क्रय विक्रय / पशु क्लीनिक / पशु अस्पताल से सम्बन्धित ट्रेड		

22	पैट शॉप	10000	5000
23	प्रा0 पशु क्लीनिक	10000	5000
24	प्राईवेट पशु अस्पताल	15000	8000
	आबकारी व्यवसाय से सम्बन्धित ट्रेड		
25	हुक्का बार	10000	5000
26	बियर बार	30000	15000
27	अंग्रेजी शराब की दुकान	50000	30000
28	देसी शराब की दुकान	30000	15000
29	इम्पोटेड वाईन शॉप डिपार्टमेन्टल स्टोर के साथ।	100000	50000
	नगर निगम, क्षेत्रान्तर्गत निर्मित मॉल स्वामियो हेतु ट्रेड		
30	मॉल स्वामियों हेतु ट्रेड	मॉल के भवनकर की वार्षिक मूल्यांकन दर का 0.5 प्रतिशत पंजीकरण शुल्क	50000

अतः देहरादून नगर क्षेत्र अनन्तिम उपविधि के अधीन समस्त व्यापारियों एवं व्यवसाईयों से व्यवसायिक लाईसेन्स पंजीकरण/नवीनीकरण उपविधि पर उपविधि/नीति प्रकाशन की तिथि दिनांक 17/05/2025 से 15 दिन के अन्दर अर्थात दिनांक 31/05/2025 की सांय 5.00 बजे तक आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित किये जाते है। दिनांक 31/05/2025 के पश्चात प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर विचार नही किया जायेगा। प्रस्तावित उपविधि/नीति नगर निगम की वेबसाईट www.nagarnigamdehradun.com पर भी उपलब्ध है।

(नमामी बंसल)
नगर आयुक्त
नगर निगम देहरादून।

(सौरभ थपलियाल)
महापौर
नगर निगम देहरादून।

पत्रांकः—882/भूमि0—2025—26, दिनांक 16/05/2025

प्रतिलिपिः—

1. सम्पादक "अमर उजाला, हिन्दी दैनिक" को इस आशय से प्रेषित कि वह उपरोक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन देहरादून संस्करण के आगामी अंक में कराते हुए समाचार पत्र की दो प्रतियां निशुल्क इस कार्यालय को प्रेषित करायें एवं निर्धारित छूट के साथ बिल भुगतान हेतु प्रेषित करें।
2. सम्पदाक "द टाईम्स ऑफ इण्डिया" अंग्रेजी समाचार पत्र को इस आशय से प्रेषित कि वह उपरोक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन देहरादून संस्करण के आगामी अंक में साईज 32.9 सेमी0 X 25 सेमी0 कुल 823 वर्ग सेमी0 में रू0—132 प्रति वर्ग सेमी0 की दर से कुल रू0—1,08,636/— एवं 5 प्रतिशत जी0एस0टी0 अतिरिक्त के साथ प्रकाशन कराते हुए समाचार पत्र की दो प्रतियां के साथ बिल भुगतान हेतु प्रेषित करें।
3. श्री मनीष पन्त आई0टी0 आफिसर को इस निर्देश के साथ कि उक्त अनन्तिम उपविधि को नगर निगम की वेबसाईट पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
4. नोटिस बोर्ड नगर निगम/कलैक्ट्रेट देहरादून पर चस्पा हेतु।

कार्यालय प्रति।

नगर आयुक्त
नगर निगम, देहरादून।

महापौर,
नगर निगम, देहरादून।